

सार समाचार

कुमारी वेदिका नामदेव का सुराश

पत्रा, देशबन्धु। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा शनिवार को जारी 10 वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया। जिसमें पत्रा जिले के अरविदो हायर सेकेन्डरी स्कूल की छात्रा कुमारी वेदिका नामदेव पिता विनोद नामदेव ने 10वीं कक्षा में 249/300, 83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। वेदिका ने बताया है की हमारी सफलता एवं मेहनत मेरे माता पिता तथा गुरुजनों का योगदान रहा है। कुमारी वेदिका की सफलता पर विद्यालय के प्राचार्य शिक्षक परिवार के सदस्यों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।



बेवफा पत्नी की गलाघोट कर की हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार

बमीठा, देशबन्धु। अपने चचेरे ससुर के साथ घर से भागी महिला को उसकी बहन ने समझा-बुझाकर पति के घर भिजवा दिया लेकिन पति उसे दिल से स्वीकार नहीं कर सका। यही वजह है कि मौका पाकर पति ने पत्नी की गला दबाकर पहले हत्या की और इसके बाद रात में ही उसने पत्नी का अंतिम संस्कार कर दिया। अवैध संबंधों के कारण पत्नी की जान लेने वाले पति को परिवार के सदस्यों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम पीरा में पत्नी के चचेरे चाचा से अवैध संबंध होने के कारण बालकेशन रैकवार ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना की जानकारी लगने पर बमीठा थाना प्रभारी दिलीप पांडे, एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची थी। उपर एसपी सचिन शर्मा ने भी घटना स्थल का जायजा लिया। परिवार के सदस्यों द्वारा हत्यारोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

यह है मामला बमीठा थानांतर्गत ग्राम पीरा के रहने वाले बालकेशन रैकवार की पत्नी गत 22 तारीख को अपने चचेरे ससुर के साथ भाग गई थी। बालकेशन ने थाने में शिकायत की जिस पर पुलिस ने गुम इंसान कायम किया था। दो दिन पहले गुरुवार को उसकी बड़ी बहन कृष्णा उसे समझा-बुझाकर उसके पति बालकेशन के पास पीरा छोड़ गई। बालकेशन और उसकी पत्नी बच्चों के साथ खेत में बनी टपरिया में रहने चले गए थे। शुक्रवार की रात अचानक बालकेशन के दिमाग में न जाने कौन सी फिटरत जाग उठी कि उसने अपनी पत्नी का तार से गला घोटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और रात में ही खेत में शव को जला दिया। बालकेशन ने अपने परिवार के सदस्यों को बताया कि सोनू और उसकी पत्नी ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी लेकिन उसने पत्नी को मार दिया है जबकि चाचा ससुर वहां से भाग गया। बालकेशन के दो बेटे हैं। 5 साल का अनमोल अपने दादा के साथ घर में सोया था जबकि 3 साल का कार्तिक बालकेशन के साथ ही सोया था। री दी है।

संजय बने चौरसिया महासभा के प्रदेश प्रवक्ता

छतरपुर, देशबन्धु। अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के द्वारा अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चौरसिया राजेश महतो ने समाज सेवा संजय चौरसिया को प्रदेश प्रवक्ता नियुक्त किया है। साथ ही महासभा आपसे आशा करती है कि आप पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा के साथ महासभा एवं समाज कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। संजय चौरसिया को प्रदेश प्रवक्ता बनने पर उनके शुभचिंतकों एवं ईष्ट मित्रों ने शुभकामनाएं दी हैं।



एमपी बोर्ड 10वीं का परीक्षा परिणाम घोषित.... प्रावीण्य सूची में गांव की बेटियों का दबदबा



नौगांव के हर्षवर्धन चौबे व अलीपुरा के प्रमोद श्रीवास ने प्रदेश की प्रावीण्य सूची में पाया 7 वां स्थान, तो तान्या सिंह ने प्रदेश में बनाया 10 वां स्थान, 2 साल पहले 2018 में बहन दीप शिखा ने भी प्रदेश की मैरिट सूची में पाया था 7 वां स्थान।

नौगांव, देशबन्धु। नगर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र हर्षवर्धन चौबे ने शनिवार की जारी हुए परीक्षा परिणाम में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 7वां स्थान पाकर अपने परिवार के साथ नगर सहित जिले का नाम प्रदेश में रोशन किया है। इतिफाक कहें या संयोग कि दो साल पहले 2018 में भी हर्षवर्धन चौबे की बड़ी बहन दीप शिखा चौबे ने भी प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 7 वां स्थान पाया था।

माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड भोपाल द्वारा शनिवार को जारी किये गए दसवीं के घोषित परीक्षा परिणाम में नगर के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले छात्र हर्षवर्धन चौबे को मां सरोज चौबे गृहणी हैं मैरिट सूची में 7 वां स्थान पाकर पूरे प्रदेश में नगर सहित जिले का नाम रोशन किया है। तो वहीं अलीपुरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बड़गांव निवासी प्रमोद श्रीवास ने भी 400 में से 396 अंक लाकर प्रदेश

की दो साल पहले सरस्वती स्कूल में पढ़ते हुए 2018 में प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 7 वां स्थान पाया था।

अलीपुरा पर्यटक ग्राम अलीपुरा क्षेत्र के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र प्रमोद श्रीवास पिता गोविंद दास श्रीवास निवासी बड़गांव ने हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में प्रदेश की मैरिट सूची में 396 अंक पाकर सातवां स्थान प्राप्त किया ग्रामीणों ने गरीब छात्र के घर पहुंच कर शुभकामनाएं दी छात्र प्रमोद श्रीवास के माता श्रीमती सावित्री श्रीवास पिता गोविंद श्रीवास मात्र 2 बीघा जमीन के भूस्वामी हैं इस कारण वे महानगरों में जाकर मजदूरी करते हैं छात्र दादा दादी के साथ एक कच्ची अटारी में रहकर पढ़ाई करता था बड़गांव से 5 किलोमीटर अलीपुरा साइकिल से जा कर अध्यापन का कार्य करता था छात्र के माता-पिता ने ईश्वर का धन्यवाद किया और बच्चे को सफलता के लिए भगवान की कृपा बताया वहीं हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य हर्षजी खान एवं वरिष्ठ व्याख्याता आरके जैन ने छात्र को बधाई दी एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया अस्थायी प्राचार्य हर्षजी खान ने कहा की ऐसे होनहार छात्रों से स्कूल एवं

गांव का नाम रोशन होता है आगे भी स्कूल की पढ़ाई में और अधिक सुधार किया जाएगा। अलीपुरा पर्यटक ग्राम अलीपुरा क्षेत्र के शासकीय कन्या हाई स्कूल की छात्रा कुमारी तान्या सिंह पिता कुलविंदर सिंह निवासी अलीपुरा ने हाई स्कूल परीक्षा परिणाम में 394 अंक प्राप्त कर प्रदेश प्रावीण्य सूची में दशवां स्थान प्राप्त कर गांव एवं स्कूल का गौरव बढ़ाया छात्रा के घर पहुंचे कन्या हाई स्कूल के प्रभारी प्राचार्य अजय त्रिपाठी शिक्षक पूर्णिमा चतुर्वेदी शेख करीम एवं प्रमोद कोरी ने आशीर्वाद स्वरूप शुभकामनाएं दी बता दें छात्रा तान्या सिंह के दादा बहादुर सिंह गौर हिंदी विषय के व्याख्याता रहे हैं। छात्रा ने बताया की दादा जी ने हमेशा पढ़ाई करने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया है जिससे मैं 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी इसी के परिणाम स्वरूप मुझे सफलता प्राप्त हुई है जिसमें हमारे स्कूल के सभी गुरुओं द्वारा समय-समय पर हमें पढ़ाने में मेहनत की है। वहीं तान्या सिंह के माता-पिता एक साधारण दंपति हैं। छात्रा का परिवार शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ग्रामीणों के साथ साथ पत्रकार साथियों ने छात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं और उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

रोटरी क्लब उपलब्ध करा रहा मरीजों को सस्ती दवा



लगभग दो लाख सत्र हज़ार रुपए घाटे के बावजूद संस्था के सदस्य मिल जुल कर केंद्र चलाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। परंतु इस प्रकार के धामक समाचारों के प्रकाशन से निश्चित ही हमारा सेवाभाव आहत होगा, हमें दुःख होगा। इस संस्था जैसे और भी संस्थाओं का सेवाभाव आहत है, इसीलिए हम अपना पक्ष रख रहे हैं। संस्था दमोह के नि:शक्त एवं बुजुर्गों को लगातार काम आने वाली दवाओं को उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास करती है। महिलाओं एवं किशोरियों की आवश्यक सामग्री सदैव उपलब्ध रहे, यही संस्था का संकल्प है। वह दवा जोकि लंबे समय से बीपी0पी0 आइडो से न आने पर दूसरी कंपनी की कम रेट पर रोगियों को उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी दवाई या वस्तु बाजार से बहुत कम मूल्य पर ही उपलब्ध कराने के लिए न ही लाभ की इच्छा रखता है। बल्कि

स्वर्णिम मग्न बनाने के लक्ष्य को किया पूरा: अर्चना गुड्ड सिंह

छतरपुर, देशबन्धु। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के कार्यकाल के सफल 100 दिन पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित कर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। बैठक में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं व उपलब्धियों को विस्तार से बताया गया। इस अवसर पर सभी ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए। श्रीमती अर्चना गुड्ड सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने किसान, विद्यार्थियों, मजदूरों के लिए, महिलाओं सहित सभी वर्गों के लिए योजनाएं चलाकर लाभान्वित किया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाया है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जनता से झूठे वादेकर जीत हासिल की थी। जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस को जनता ने लोकसभा चुनाव में जवाब दिया। डेढ़ वर्ष में ही कांग्रेस को सरकार गिराई और जनता की विश्वास की जीत हुई। भाजपा की सरकार अपनी अच्छी योजनाओं और वादे पूरे किये, यही वजह है कि फिर से हमारी सरकार बनी। सरकार बनते ही 100 दिन में जो भी कार्य किए हैं उन योजनाओं को भी हमारे द्वारा प्रदेश की जनता तक पहुंचा कर लाभ पहुंचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 100 दिन में इस अल्प अवधि में प्रदेश की प्रगति के कई कीर्तिमान स्थापित किए। एक और जहां कोरोना संकामण को प्रदेश में करारी शिकस्त दी। उसकी संक्रमण दर को न्यूनतम लाकर खड़ा किया। इसी के सभी भाजपा नेताओं ने अपने-अपने विचार प्रकट कर सरकार की योजनाओं का व्याख्यान किया।

जिला प्रशासन व कृषि विभाग की टीम ने मारा कृषि बीज भण्डार पर छापा



नौगांव, देशबन्धु। नगर के नेशनल हाइवे पर महोबा चौगहे के पास संचालित भट्ट कृषि बीज भंडार पर शनिवार की दोपहर एसडीएम, तहसीलदार सहित कृषि विभाग की टीम ने संचालक को जबरन भट्ट कृषि कार्यवाही करते हुए बीज भण्डार का रिकार्ड चेक करते हुए मौके पर एक्सपायरी दवाएं एवं कीटनाशक अवैध रूप से पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए एक्सपायरी दवाएं एवं कीटनाशक को जबरन चपला लगाकर सील्ड करते हुए कार्यवाही करते हुए एस जी के 14 प्रकार की दवाओं का सैम्पल लैब टेस्ट भेजा जा रहा है। कृषि विभाग के अधिकारियों के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी। नौगांव एसडीएम विनय

कार्टवाइ के दौरान मिली एक्सपायरी दवाओं सहित कीटनाशक, रिकार्ड किया जब्त

द्विवेदी, तहसीलदार बीपी सिंह, नायब तहसीलदार शैवाल सिंह एवं सहायक संचालक डॉ बीपी सूत्रकार सहित राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की टीम ने शनिवार की दोपहर शहर में स्थित भट्ट कृषि बीज भण्डार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम विनय द्विवेदी, नायब तहसीलदार शैवाल सिंह एवं सहायक संचालक डॉ बीपी सूत्रकार सहित राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग की टीम के द्वारा कार्यवाही की गई, कार्यवाही के दौरान एक्सपायरी डेट की दवाएं एवं अमानक कीटनाशक मिला है जिस पर 14 प्रकार की एक्सपायरी डेट की दवाएं एवं अमानक कीटनाशक को जप्त करते हुए सभी के सैम्पल लैब टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। लैब टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जायेगी। हालाँकि एक्सपायरी डेट की दवाएं एवं अमानक कीटनाशक को जप्त कर लिया गया है।

चन्द्रपुरा गांव में सरकारी जमीन पर सखी अवैध रेत जब्त रेत के अवैध मंडारण पर खनिज विभाग की कार्रवाई



नौगांव, देशबन्धु। नौगांव थानांतर्गत गरीली चौकी क्षेत्र के चन्द्रपुरा गाँव में खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए 177 घनमीटर अवैध रेत के भंडारण पर कार्रवाई करते हुए अवैध रेत जब्त की इनका कहना है ग्राम सरपंच द्वारा शिकायत की गई थी कि शासकीय भूमि पर अवैध रेत का भंडारण किया गया है जिसमें मौके पर जा कर कार्यवाही की गई। इसके साथ ही सील करके पंचायत के सुपुर्द कर दिया गया है। जिनके द्वारा अवैध भण्डारण किया गया है। उनकी जांच करके कार्यवाही की जाएगी। रमाकांत तिवारी, खनिज अधिकारी छतरपुर

HDFC BANK प्रधान कार्यालय : एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापती बापट मार्ग, लोवर परेल (पश्चिम) मुम्बई - 400 013
 क्षेत्रीय कार्यालय : एचडीएफसी बैंक लि., डिपार्टमेंट फॉर स्पेशल ऑपरेशन्स, सावित्री, 597-3/2, जी.सी.एफ. रोड, सिविल लाईन्स, जबलपुर (म.प्र.) - 482001.

ई-नीलामी विक्रय सूचना

अचल संपत्तियों की ई-नीलामी विक्री हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय आरिस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत बैंक को बंधक अचल संपत्तियों की विक्री के लिए ई-नीलामी की विक्री सूचना।

जैसा कि, वित्तीय परिपंक्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत जारी मांग सूचना के अनुपालन में बैंक के बकाए नीचे वर्णित ब्याज की वसूली के लिए उसकी विक्री करने के अधिकार के साथ एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अयोध्याशर्मा ने निम्नलिखित ऋण खाताओं में निम्नलिखित संपत्तियों का भौतिक अधिग्रहण कर लिया है तथा ऋणी (यो) /बंधककर्ता(ओ) /जमानतदार(र) द्वारा उसके भुगतान में विलम्बता के बाद उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत प्रवर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक के बकाया की वसूली के लिए अयोध्याशर्मा "जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर" उसकी विक्री का प्रस्ताव करते हैं। नीचे दी गई संपत्तियों की विक्री ई-नीलामी के माध्यम से वेब पोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर आयोजित की जायेगी।

अचल संपत्तियों का विवरण/ खाते/ राशि/ ईएमडी/ इत्यादी का विवरण

क्र.	शाखा एवं खाता का नाम	संपत्ति के बंधककर्ता एवं जमानतदारों के नाम	समान बंधक संपत्ति का विवरण	मांग सूचना के अनुसार राशि/ ईएमडी/ मांग सूचना दिनांक	निरीक्षण की तिथि एवं समय	आरंभित मूल्य/ ईएमडी/ बोली बढाने की राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	बोली प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	प्राधिकृत अधिकारी का नाम/ फोन नं./ ई-मेल आईडी
1.	शाखा - छतरपुर एवं खाता - जय शिव इंटरप्राइजेस	श्री आजाद कुमार अग्रवाल एवं श्री शंकर लाल अग्रवाल	वार्ड नं. 08, मकान नं. 295, ग्राम-गुलगंज, तेहसील-बिजावर, जिला-छतरपुर (म.प्र.) स्थित संपत्ति। संपत्ति मालिक: श्री आजाद कुमार अग्रवाल	₹. 12,86,160.90	05/08/2020 एवं समय- प्रातः 10.00 बजे के बाद	₹. 17,24,000/- ₹. 1,72,000/- ₹. 10,000/-	02/09/2020 प्रातः 11 बजे से दोपहर 01 बजे तक	28/08/2020 प्रातः 4 बजे तक	आशिष रावत 9981126266 Ashish.rawa9@hdfcbank.com

नियम एवं शर्तें

- ई-नीलामी "जैसा है जहां है, जो भी वहां है तथा बिना सहारा के आधार पर" आयोजित की जा रही है।
- इच्छुक बोलीदाता को लागिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से वेबपोर्टल <https://www.bankeauctions.com> पर ईएमडी के विवरणों तथा दस्तावेजों को जमा करना होगा (यूजर आईडी तथा पासवर्ड <https://www.bankeauctions.com> पर नाम पंजीकृत कर नि:शुल्क प्राप्त किया जा सकता है) ईएमडी का भुगतान अधोलिखित खाता नं. : 02400930000063, खाता का नाम: FUNDS TO BE CLEARED : DOC SERV, लामार्थी का नाम: एचडीएफसी बैंक लि., आईएफएससी कोड: HDFC0000240 में एचडीएफसी/आरडीजीएस द्वारा करना होगा। कृपया ध्यान दें कि चेक/ डिमांड ड्राफ्ट ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी में बैंक के रिकॉर्ड अनुसार संपत्ति पर कोई भार अर्थात संबन्धित बकाया जैसा है संपत्ति कर, सोसायटी बकाया आदि नहीं है। फिर भी बैंक, आदि कोई हो किसी भी वर्तमान/भूतकाल/भविष्य बकाया असंबन्धित बकाया/ संबन्धित बकाया/ अधिभार/ करों के बकाए के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इच्छुक बोलीदाता अधिभारों, संपत्ति/ यों के टाइटल के विषय में अपनी स्वतंत्र जांच कर स्वयं को संतुष्ट करें। **संपत्ति का निरीक्षण उपर वर्णित तिथि एवं समय में ही किया जा सकता है।**
- ईएमडी जमा किए होने वाले इच्छुक बोलीदाताओं जिन्हें लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-नीलामी प्रक्रिया पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए सहयोग अपेक्षित हो, वे हमारे सेवा प्रदाता मे. सी 1 इंफ्रिया प्रौ. लि., प्लॉट नं. 301, गलक पेट्रोकेम बिल्डिंग, उद्योग विहार, फेज-2, गुडगांव, हेल्पलाईन नं. 0124-4302020/ 21/22/23/24, श्री दानिश खान, मोबाईल: 09826804343, 09111444797 एवं श्री हरीश गोयवाडा मो.: 09504597555, हेल्पलाईन ई-मेल आईडी: support@bankeauctions.com से संपर्क करें तथा संपत्ति संबंधित पूछताछ के लिए उपरोक्त संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से कार्यालय अवधि (प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे) के दौरान कार्यालय दिनों को संपर्क करें।
- उच्चतम बोली एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की स्वीकृती के अधीन होगी। प्राधिकृत अधिकारी को उसका कोई भी कारण बताए बिना प्राप्त किए गए किसी भी प्रस्तावों/बोलियों को स्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार है। उनका निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।
- (विरस्तुत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.hdfcbank.com तथा www.bankeauctions.com देखें)

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8 (6) के तहत सांघिक 30 दिनी विक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) / नियम 9 (1) के अंतर्गत ऋणियों एवं जमानतदारों को उम्पर लिखी गयी तिथि पर ई-नीलामी करने की सूचना के रूप में भी समझा जाएगा। ऋणी/जमानतदारों/बंधककर्ताओं को एतद्वारा नीलामी से 30 दिन पूर्व उपरोक्त अनुसार अधतन ब्याज और सहायक व्ययों सहित भुगतान करने के लिए अधिवृत्तित किया जाता है, अन्यथा संपत्ति की नीलामी/विक्री की जायेगी और बकाया देय राशि यदि कोई हो, की वसूली ब्याज और लागत सहित की जायेगी।

दिनांक: 04/07/2020, स्थान: जबलपुर, मध्य प्रदेश